



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर
(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 18/2017 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

RCMS NO : 2017/00046

अनवान

1. श्री रणछोड़ पिता रामा मीणा, निवासी भाउवा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री केशु पिता थावरा मीणा, निवासी भाउवा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती गीता पत्नी केशु मीणा, निवासी भाउवा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री रमेश नन्दवाना, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970
बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

*** निर्णय ***

दिनांक 30-09-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम भाउवा, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 2471/1256 रकबा 2.84 हेक्टेयर पर प्रार्थी का 30 वर्ष पुराना कब्जा है, जिस पर प्रार्थी की झोपडी बनी होकर परिवार सहित निवास कर रहा है। दिनांक 12.06.2005 को विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने परिजनों सहित प्रार्थी पर हमला करने व बेदखल करने की कोशिश करने पर प्रार्थी ने इस लोगो के विरुद्ध पुलिस थाना ऋषभदेव में मुकदमा दर्ज कराया तथा कोर्ट द्वारा इनके विरुद्ध धारा 147, 447, 427, 323/149 भा.द.स. में प्रसंज्ञान लेकर बाद सुनवाई इन्हे दण्डित किया गया। विपक्षी संख्या 1 भूमि दलाली का कार्य करता है तथा बोनाफाईड कृषक नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में वर्ष 1997 से नाजायज कब्जे के नोटिस भी दिये गये है एवं प्रार्थी ने उन नोटिस की पेनाल्टी भी जमा कराई है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार वर्ष 2005 तक के कब्जों का नियम 20 के अन्तर्गत पुराने कब्जे को नियमन किये जाने का प्रबधान है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 21.12.2010 को प्रार्थी के कब्जे काशत की आराजी संख्या 2471/1256 की भूमि में से 0.6000 हेक्टेयर भूमि स्वयं के नाम पर आवंटित करवा ली गयी। विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन पूर्णतया विधि विपरित है। विपक्षी संख्या 1 व 2 का आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात् विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं रहा है। आवंटन से पूर्व न तो कोई उद्घोषणा

जारी की गयी, न ही उद्घोषणा सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की गयी एवं आवंटन स्थान का उल्लेख भी आवंटन में नहीं किया गया है। आवंटन सलाहकर समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर कोरम पर मौजूद नहीं है। आवंटन में रकबे का उल्लेख गलत किया गया है। इस प्रकार आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोजेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.12.2010 के आवंटन पत्र को चुनौती दी है, जो मयाद बाहर है एवं मयाद माफी हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा स्वयं का पुराना कब्जा होने की पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी का न तो विवादित आराजीयात पर न तो कोई कब्जा है एवं न ही उसका मकान बना हुआ है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि वक्त आवंटन रिक्त होने से ही उन्हें आवंटित हुयी है। आवंटन से पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी हुयी है एवं सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की गयी है। आवंटन के कोरम पर सलाहकर समिति के आवश्यक न्यूनतम सदस्यों के हस्ताक्षर है। आवंटन के रकबे में कहीं गलत उल्लेख नहीं किया गया है। कुल आवंटित होने वाले आराजी का रकबा 1.4000 हेक्टेयर होकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को 0.6000 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 भूमिहिन काश्तकार की श्रेणी में आते हैं। मौजा भाउवा की आराजी संख्या 2471/1256 एक बडी आराजी है, जो 2.2400 हेक्टेयर की होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त है। उसी में से विधिवत आवेदन उपरान्त पत्रावली क्रमांक 462/2010 संघारित की जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को जांच उपरान्त संयुक्त रूप से दिनांक 21.12.2010 को आवंटित की है एवं गैर खातेदारी में दर्ज कर मौके पर कब्जा दिया गया है एवं आवंटन उपरान्त आवंटन की शर्तों की पालना करने से आवंटियों को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं कालान्तर में वर्ष 2015 में इस भूमि पर विपक्षी द्वारा आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा ऋषभदेव से कर्ज लिया गया है। उक्त भूमि में से 0.0500 हेक्टेयर भूमि विपक्षी द्वारा सम्परिवर्तित भी करा दी गयी हैं, जिसका आदेश दिनांक 24.05.2018 को पारित हुआ है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा बोरवेल खुदवा रखा है एवं बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सब्यय खारीज किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को बहाल रखा जावे।

प्रकरण में तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान में किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा अपने पत्र क्रमांक रीडर/आ.नि./2018/1227 दिनांक 12.10.2018 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार आराजी संख्या 2471/1256 रकबा 0.6000 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 व 2 श्री केशुलाल पिता थावरा एवं गीता पत्नि केशुलाल के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। मौके पर आराजी

के दक्षिण छोर पर 100 x 17 वर्गफीट पर पक्की दुकाने बनी हुयी है, जो विपक्षी संख्या 1 द्वारा लगभग डेढ वर्ष पूर्व बनाया जाना मौतबिरान द्वारा जाहिर किया गया। शेष भूमि में से उत्तरी छोर की तरफ जे.सी.बी. मशीन द्वारा समतलीकरण कर 0.2000 हेक्टेयर भूमि पर इसी वर्ष उडद एवं मक्की की खेती की गयी है। उक्त समतलीकरण का कार्य भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा किया गया है। शेष भूमि पडत होकर कोई कृषि कार्य नहीं किया गया है। वादी का कथन है कि विपक्षीगण द्वारा बनायी गयी दुकानो पर पूर्व में वादी का कब्जा था, किन्तु उपस्थित मौतबिरान ने इसकी तस्दीक नहीं की। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले में उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 462/2010 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन से कराना, आवंटन नियमों की पालना न होना, प्रार्थी का 30 वर्ष पुराना कब्जा होना, आवंटन से पूर्व के नोटिस प्रार्थी के पास उपलब्ध होना, उद्घोषणा न होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित होना बताया एवं निरस्त करने की मांग की। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि विपक्षी संख्या 1 भू-माफिया होकर पूर्व में भी इसके द्वारा भूमि विक्रय की गयी है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विवादित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का पुराना कब्जा होना, खातेदारी प्राप्त होना, आवंटन कमेटी का कोरम पुरा होना आदि आधारों आवंटन में कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि मात्र कब्जे के आधार पर प्रार्थी के अधिकार विवादित आराजीयात पर तय नहीं किये जा सकते हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 को विवादित आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही मेन्टेनएबल नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षीगण के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः केशु पिता थावरा मीणा एवं गीता पत्नि केशु मीणा के द्वारा मौजा भाउवा, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 2471/1256 रकबा 0.6000 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, प्रधान, क्षेत्रीय विधायक, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। आवंटन के उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी

की रिपोर्ट में प्रस्तावित भूमि का मौके पर काबिल काश्त होना एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में उद्घोषणा जारी होने का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होना अवश्य बताया है एवं धारा 91 के नोटिस भी पेश किये है, किन्तु मात्र कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति की राजकीय भूमि पर अधिकार नहीं माने जा सकते हैं। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी का पुराना कब्जा होने की पुष्टि नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ मयाद कंडोन किये जाने बाबत भी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही विलम्ब के कारण को स्पष्ट किया है। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आवंटन में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो या आवंटन शर्तों की पालना नहीं हुयी हो। चूकिं उक्त विवादित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तों की पालना करने के उपरान्त ही देय होते है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानान्तर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिये। इस प्रकार आवंटन बहाल रखे जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा भाउवा, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 2471/1256 रकबा 0.6000 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 21.12.2010 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर